

## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री रामफूल मीना, निवासी जी-31 ई, तिरूपति नगर, सी.बी.आई. फाटक, जगतपुरा, जयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा / तहसीलदार बसवा / बांदीकुई



अपील संख्या 126 / 2022

निर्णय

दिनांक 23.12.2022


संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा व तहसीलदार बसवा जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बांदीकुई से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा व तहसीलदार बसवा को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2022/2959-2960 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा अपीलांत को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2022/1276 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार बसवा से संबंधित होने से आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई ने पत्र क्रमांक: भू0अ0/2022/3456 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से दिनांक 8.12.2022 के द्वारा अवगत करा दिया गया है। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(कमर)   
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा